Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बयाना

बच्चूसिंह आदि बनाम बृजेन्द्रसिंह वगैराह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र धारा 212 आर टी एक्ट नं सन 272/25

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल मे जारी हुए
06/10/25	प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया। प्रार्थी द्वारा मूल अप्रार्थीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का निवेदन किया है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम नयावास तहसील बयाना में काश्त करने से नहीं रोकें। कोई व्यवधान नहीं डालें। डौल मेड को नहीं तोडें। रहन, वय व मुन्तकिल नहीं करें। कब्जे काश्त में कोई रूकावट नहीं डालें। रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। हमने एड. प्रार्थी को सुना। बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजो का गहनता से अध्ययन करने पर अप्रार्थीगण के विरूध्द अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी दिनांक 24.11.2025 तक इस आशय की जारी की जाती है कि मद संख्या 2 में वर्णित आराजी वाके ग्राम नयावास तहसील बयाना में रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। **नोट– यह स्थगन आदेश 251A व 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत् रास्ते सम्बन्धी विधि अनुसार की जाने वाली कार्यवाही को प्रभावित नहीं करेगा साथ ही यदि प्रार्थी, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरा नम्बरान का कोई समर्पण कराना चाहता है तो स्थगन आदेश का प्रभाव नहीं रहेगा। इसके आधार पर कृषि कार्य बंद नहीं करवाया जावे। उक्त खसरा नम्बर पर जारी स्थगन आदेश सटे हुए खसरा नम्बरान की पैमाईश बाबत निष्प्रभावी रहेगें।** पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थी को जरिये साधारण / रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलबी हेतु तलबाना पेश हो अन्यथा आगामी तारीख पेशी को अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः ही निष्प्रभावी समझा जावे पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 24.11.2025 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बयाना (भरतपुर) राज.	
24/11/25	प्रकरण पेश हुआ। अप्रार्थीगण की ओर से एडवोकेट श्रीराम शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण वास्ते जवाब दि० 15.1.26 को पेश हो। [signature]	

15/01/26 पीठासीन अधिकारी [illegible] है।
पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17/4/26 को पेश है।

(हस्ताक्षर)
रीडर
ओ/एस.डी.एम.

रीडर [illegible] पेश

17/4/26 प्रकरण पेश हुआ। [illegible] प्रार्थीगण अनु0। प्रकरण के सम्बन्ध में न्यायालय कक्ष से बार-बार आवाज लगवाई गई। आवाज उपरान्त भी प्रकरण में कोई उप0 नहीं।

अतः प्रकरण इसी स्तर पर अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)